T.S. No – 05/EE/2024-25 Dt – 03.09.2024

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

अपार शक्तेः स्त्रौतः गंगेयम्

"सिंचाई बढ़ाएं खुशहाली लाएं"

योजना का नाम :–जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

अनुमानित लागत : रु0 10.00 लाख

वर्ष : 2024–25

सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़।

सिंचाई खण्ड, धारचूला।

सिंचाई खण्ड धारचुला
उपखण्ड द्वित्तीय मुनस्यारी

आख्या

योजना का नाम :–जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी0 है। इस जनपद की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है। ग्रम–वल्थी का तोक देवीबगड जनपद पिथौरागढ के बंगापानी तहसील में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़–जौलजिबी–मदकोट–मुनस्यारी मोटर मार्ग से मदकोट–बौना मोटर मार्ग पर लगभग 100.00 कि0मी0 की दूरी पर मंदाकिनी नदी के बॉयें पार्श्व पर स्थित है।

वर्ष 2024–25 वर्षाकाल में होने वाली अत्यधिक वर्षा एंव अतिवृष्टि के कारण व 18 जुलाई 2024 को हुइ अत्यधिक वर्षा एंव अतिवृष्टि के कारण मंदाकिनी नदी के ऊपर की पहाड़ी टूटने के कारण मंदाकिनी नदी मे पानी के साथ अत्याधिक मलबा व बडे बडे पत्थर आ गये है, अत्याधिक मलबे व बडे बडे पत्थर के कारण मंदाकिनी नदी व गोरी नदी के संगम पर मलबा भर जाने से मंदाकिनी नदी का प्रवाह ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड की ओर हो गया है मंदाकिनी नदी के तेज प्रवाह ने ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो के पास कटाव किया है एंव मंदाकिनी नदी के अपस्ट्रीम मे बडे बडे पत्थर आ गये है।जो नदी के तेज प्रवाह को आबादी क्षेत्र ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड की ओर जाने एंव पानी का स्तर उठ जाने से नदी के बाये पार्श्व पर स्थित ग्राम ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड को खतरा उत्पन्न हो गया है एंव आवासीय भवनो को भी खतरा बना हुआ है। अगर यह नदी प्रवाह अचानक बढ गया तो ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में ओर अत्यधिक कटाव होने की सम्भावना हो सकती है।ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड की सुरक्षा के लिये चैनलाईजेशन द्वारा इस मलबे व बडे बडे पत्थरो को हटाया जाना अति आवश्यक है अतः यह योजना मंदाकिनी नदी से मलबा व बडे बडे पत्थरों को हटाने हेतु बनाई गई थी। उक्त के क्रम में आबादी की सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी मे 236 मी0 लम्बाई मे मलबा हटाये जाने व बडे पत्थरों को हटाने का कार्य प्रस्तावित किया गया था। स्थानीय जनता

एवं जन–प्रतिनिधियों की मांग पर व कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक – 1012/तेरह–आ0प्र0/2024–25 दिनांक–21/जुलाई/2024 के आधार पर उक्त प्राक्कलन का गठन किया गया, जिसकी अनुमानित लागत रू0 14.76 लाख थी । जिसके सापेक्ष कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ के कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या–1220/न्यूनीकरण निधि /आ0प्र0/2024–25 दिनांक–17 अगस्त 2024 के द्वारा रू0–10.00 लाख का धन आवंटन हुआ है। जिसके कम में प्राविधिक प्राक्कलन में उक्त गांव की सुरक्षा व जान माल की क्षति रोकने हेतु एवं तात्कालिक कटाव एंव मंदाकिनी नदी को फैलने से रोकने के लिए तात्कालिक/आकस्मिक कार्य प्रस्तावित किया गया हैं। उक्त प्राक्कलन में आवंटित धन के सापेक्ष कुल 160.00 मी0 लम्बाई में प्रस्तावित किया गया है। प्राविधिक प्राक्कलन में मंदाकिनी नदी के डायर्वट करने के लिये मंदाकिनी नदी तल में चैनलाईजेशन द्वारा इस मलबे व बडे बडे पत्थरो को हटाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

यहां पर विभाग द्वारा पूर्व में कोई कार्य नहीं कराया गया है एवं यह पुर्नस्थापन कार्य नहीं है। उक्त कार्य जान माल की क्षति रोकने हेतु तात्कालिक कटाव एंव मंदाकिनी नदी को फैलने से रोकने के लिए प्रस्तावित किया गया हैं।

वर्तमान में योजना का गठन लो0 नि0 वि0 की ऑन लाईन स्वीकृत ब्लॉक मुनस्यारी की दरों के अनुसार दिनांक 03.10.2022 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी0 एस0 टी0 सम्मिलित करते हुए किया गया है।

यह योजना व्यापक जनहित की है। अतः प्राविधिक प्राक्कलन उक्त ग्राम की तात्कालिक सुरक्षा हेतु व जान माल की क्षति रोकने हेतु लागत रू0– 10.00 लाख का तात्कालिक प्राविधिक प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता–द्वित्तीय
सिंचाई खण्ड धारचुला ।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड धारचुला।

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक 1012 /तेरह–आ0प्र0/2024–25 दिनांक 21 जुलाई 2024

अधिशासी अभियंता,
सिंचाई निर्माण खण्ड,
धारचूला।

विषय : तहसील बंगापानी अन्तर्गत ग्राम वल्थी तोक देवीबगड़ के आवासीय भवनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी, धारचूला के पत्र संख्या–1191/र0का0/दै0आ0–सुरक्षात्मक कार्य/2024 दिनांक 20 जुलाई 2024 से अवगत कराया गया है कि ग्राम वल्थी तोक देवीबगड़ तहसील बंगापानी के कई आवासीय परिवारों को मंदाकनी नदी में बाढ़ आने के कारण भू–कटाव से खतरा उत्पन्न हो गया है, जिस कारण 09 परिवारों को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। यदि शीघ्र सुरक्षा उपाय नहीं किये गये तो सभी आवास भू–कटाव की चपेट में आने की सम्भावना है। तत्काल सुरक्षा उपाय हेतु मंदाकनी नदी को डाईवर्ट करने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त वायर क्रेट लगाये जाने की भी आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि तहसील बंगापानी के ग्राम वल्थी तोक देवीबगड़ में मंदाकनी एवं गौरी नदी से हो रहे भू–कटाव से सुरक्षात्मक कार्य किये जाने एवं मंदाकनी नदी का जल प्रवाह परिवर्तित (डाईवर्ट) किये जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :–

1– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, पिथौरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– उपजिलाधिकारी, धारचूला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम देवीबगड़ में सिंचाई विभाग धारचूला द्वारा किये जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यो की निगरानी सुनिश्चित करें।
3– ऑफिसर कमाण्डिंग, 1447 सीमा सड़क संगठन, मुनस्यारी।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–496/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक 22.06.2024 एवं शासनादेश संख्या–633/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक 03.07.2024 से वित्तीय वर्ष–2024–25 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्य योजना के मरम्मत हेतु कार्यदायी संस्था **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला** को 03 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष **₹ 33.50** लाख **(₹ तैन्तीस लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील/खण्ड/ग्राम का नाम/स्थान का नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आंगणन कीलागत (रू० लाख में)	मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू० लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	मुनस्यारी/ मुनस्यारी/ भैसखाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम भैसखाल की सुरक्षा हेतु हरड़िया नाले से मोटर पुल के डाउन स्ट्रीम में मलबा सफाई का कार्य	सिंचाई खण्ड धारचूला	14.76	10.00
2.	बंगापानी/ धारचूला/ वल्थी देवीबगड़	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम वल्थी के तोक देवीबगड मे आवसीय भवनों की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु चैनलाईजेशन का कार्य।	सिंचाई विभाग, धारचूला	14.76	10.00
3.	बंगापानी/ धारचूला/ वल्थी देवीबगड़	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत तसहसील बंगापानी के ग्राम वल्थी के तोक देवीबगड़ में आवासीय भवनों की मन्दाकनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा कार्य (पार्ट–1)	सिंचाई विभाग, धारचूला	19.98	13.50
	योग			**49.50**	**33.50**

प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा/आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ उक्त स्वीकृत कुल धनराशि I **₹ 33.50** लाख **का प्रथम किस्त के रूप में 70% ₹ 23.45** लाख **(₹ तेईस लाख पैन्तालीस हजार मात्र)** को कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, कार्य पूर्ण होने पर अवशेष 30% **धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला** को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में **राज्य आपदा न्यूनीकरण** निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

3- कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

4- कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैजरमैन्ट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें ।

5- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय।इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

6- संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य इसी वर्ष दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है । स्वीकृत धनराशि नर्व निर्माण कार्यो में कदापित व्यय नही की जायेगी।

7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नही की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आंगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी । ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नही आते है । अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यो, नवनिर्माण कार्यो तथा विकास कार्यो में किसी भी दशा में व्यय न करें ।

9- दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमित्ता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें ।

11- कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेगें एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

12- इस मद से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कंकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा । कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा ।

13– उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप स उत्तरादायी रहेंगे ।

14– कार्यदायी संस्था **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला** द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

15– कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक–पृथक फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन अन्तर्गत संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

16– संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित–2017 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 14 अगस्त, 2024

ह0/–
(रीना जोशी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़।

संख्या– 1220 /न्यूनीकरण निधि/आ0प्र0/2024–25 दिनांक17 अगस्त 2024

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, आपदा प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
3– उप जिलाधिकारी, धारचूला/ मुनस्यारी
4– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5– **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला।**
6– कार्यालय प्रति ।

प्रभारी अधिकारी दैवीय(आपदा)/
अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

DRILL PROFORMA

1	Name of Project	--	जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।
2	Estimated amount and head of account to which chargeable	--	10.00 Lacs
3	Has the work been started in anticipation of sanction of the estimate and if so under what authority. The date of starting the work along with the reasons for doing so and whether the Accountant General has been informed.	--	No such case
4	Date of completion of the work if it has already been completed, if not the stage of progress of work	--	No such case
5	Is the estimate based on the figures of expenditure as actually incurred, if completed	--	No expenditure incurred
6	I)Name of the Project sub head and sub head of the project estimate showing the amount provided for	--	
	II)Total amount of liabilities already incurred against unsanctioned estimate and anticipated excess over sanctioned	--	NiL
	III)Total amount of estimate already sanctioned in sub head by the Chief Engineer and Superintending Engineer.	--	NiL
	IV)The total amount of further estimate proposed to be sanctioned in the sub head	--	NiL
	V)Can the estimate be met out of savings in the sub head, if not how is excess proposed to be met	--	No such case
7	Have the drawings been approved and signed by the Chief Engineer and Superintending Engineer	--	Yes
8	Has the L-Section submitted with estimate been approved by the Superintending Engineer	--	Yes
9	Have the analysis of rates been prepared in accordance with the standards laid down in Chief Engineer's office memo no 2325/vi/dated May, 3, 1961 and subsequent amendments thereto and are the labour rates adopted in conformity with sanctioned schedule of rates for division/circle	--	Project is based on P.W.D online rates
10	Are the rates adopted for earthwork by machines are in accordance with the latest instructions issued by the Chief Engineer and where these do not apply in accordance with the recommendations of the rates and cost committee. Full justification to be given	--	No such case
11	If the rates provided are the tendered rates are these rates below the rates worked out on the basis of prescribed Standard rates . Have full reasons been given in this project.	--	No such case
12	Has the Project been carefully checked and the certificates of Checked recorded there on ?	--	Yes

13 Are you satisfied that all the design quantities and rates are in order and confirm to the principals of safety and economy and the work so constructed fulfills the purpose. Have you appended detailed rates on the estimate & your view on those? -- Yes

Executive Engineer
I.D, Dharchula

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड़ में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

SALIENT FEATURES

1 Name of Project	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।
2 Name of District	Pithoragarh
3 Name of Gadhera	Mandakini River
4 Area affected	
a) Houses	15 Nos
5 Length of Embankment	160 m Cleaning Channelisation work
6 Main works to be done under this project	Cleaning & Channelisation work
7 Cost of Scheme	Rs 10.00 Lacs
8 Benefit Cost Ratio	5.68 : 1

Assistant Engineer-II
Sub Div. II, Munssiyari

Executive Engineer
I.D, Dharchula

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

STATEMENT OF AVERAGE ANNUAL LOSSES FOR THE YEAR 2024-25

1 Area endangered by erosion by river .					1.10	Ha
2 Houses endangered by erosion by river.					15	Nos
3 Cost of 1.0 Ha land @ Rs 31.00 Lacs/Ha				Rs	34.10	Lacs
4 Cost of houses						
a) 9 Nos Pucca Houses						
i) 5 X 8.80 m X 6.30 m	=	277.20 Sqm				
ii) 4 X 7.50 m X 5.30 m	=	159.00 Sqm				
Total		436.20 Sqm	@10500/Sqm		45.80	Lacs
b) 04 Nos semi Pucca / kaccha Houses						
iii) 4X 9.10 m X 6.50 m	=	236.60 Sqm				
Total		236.60 Sqm	@4620/Sqm		10.93	Lacs
			Total	**Rs**	**90.83**	**Lacs**
5 Net average losses due to erosion assuming 10 years period				Rs	90.83	Lacs
6 Average annual losses				Rs	9.08	Lacs

Assistant Engineer-II
I.D,Dharchula

Executive Engineer
I.D,Dharchula

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड़ में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

STATEMENT III BENEFIT-COST ANALYSIS

I Name of Project	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।		
i) Net annual losses due to flood	Rs	9.08	Lacs
ii) Net annual losses after completion of the scheme		NiL	
II Cost			
a) Cost of Scheme	Rs	10.00	Lacs
b) Cost of existing works		NiL	
c) Annual interest payable @ 10% on capital cost	Rs	1.00	Lacs
d) Annual depriciation @ 2% on capital cost	Rs	0.20	Lacs
e) Recurring annual maintainence charges @ 4% on capital cost	Rs	0.40	Lacs
Total	Rs	1.60	Lacs

Benefit Cost Ratio = $\frac{9.08}{1.60}$ = 5.68 : 1

Assistant Engineer-II
I.D,Dharchula

Executive Engineer
I.D,Dharchula

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

STATEMENT-II OF FLOOD DAMAGES AND RELEIF MEASURES AFTER COMPLETION OF THE SCHEME

1 Name of Project	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।	
2 Name of River	Mandakini River	
3 Area protected by the scheme		
a) Houses	15	Nos (Approx)
b) Land	1.10	Ha
4 Population protected by the scheme	50	Nos (Approx)
5 Annual flood losses after completion of the scheme	No damages expected after completion of the scheme	
6 Population likely to be still affected	NiL	
7 Frequency of flood	Every year in rainy season	
8 Depth of inundation in m	NiL	
9 Damages to crops	NiL	
10 Total damages in lacs	NiL	
11 Indicate approximate estimate of probable expenditure that may still be necessary	NiL	
12 Net amount of flood losses	NiL	

Assistant Engineer-II
I.D,Dharchula

Executive Engineer
I.D,Dharchula

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

ABSTRACT OF COST OF PROJECT

1 कार्य की लागत	रु0	10.00	लाख
2 अप्रत्यक्ष व्यय			
अ. अधिष्ठान पर व्यय		–	
ब. यंत्र संयत्र पर व्यय		–	
3 प्रत्यक्ष व्यय			
अ. आडिट एवं एकाउन्ट पर व्यय		–	
सम्पूर्ण योग	रु0	10.00	लाख

सहायक अभियन्ता
द्वित्तीय उपखण्ड, मुनस्यारी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचूला।

IInd Sub- Division, Munsiyari, Irrigation Division, Dharchula

जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

SCHEDULE OF RATE

Block - 49 Munsyari District - Pithoragarh Effective Date- 03-10-2022

Block : 49-Munsyari Zone : II - Distance by foot: Upto 30 Mtr

S.No	S O R Item No.	Item Of Work	Rate in Rs	Unit	Index rate (in %)	Index amount	Total rate
1	MISCELLANEOUS 1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useing Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.80	Cum	0.00	0.00	83.80
2	MISCELLANEOUS 1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof.	32.70	Cum	0.00	0.00	32.70

Rates checked

Junior Engineer
II Sub Division
Munssiyari

Assistant Engineer-II
Sub Division-II
Munssiyari

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

Sl. No.	Description	Rate	Unit
CHAPTER-1	**- General Items**		
1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useinng Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.80	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	32.70	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	133.40	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer , lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause	326.80	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	64.20	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction	495.70	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	2,675.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royaltiies etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specifiction	4,483.50	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of wallls including cost of all materials, royality, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,160.70	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,749.60	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	2,210.00	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	2,410.70	Cum
1-8	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	9,242.10	No.

आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–9 के पत्र संख्या 615/2023/XXVII(9)/स्टाम्प–80/2009 दिनांक 15.02.2023 द्वारा जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित सर्किल दरों को उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)(संशोधन) नियमावली 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सर्किल दरों को युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 934/म0वि0नि0/2022–23 दिनांक 15.02.2023 से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि/समस्त आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की नई सर्किल दरें दिनांक 16.02.2023 से प्रभावी होंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

दिनांक 16 फरवरी 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या :– 912 /पॉच– 02 /2022–23 दिनांक 16 फरवरी 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2–महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–जिला निबन्धक, जनपद पिथौरागढ़।
4–समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद पिथौरागढ़।
5–अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
6–समस्त उप निबन्धक, जनपद पिथौरागढ़।
7–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, जनपद पिथौरागढ़।
8–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 केन्द्र पिथौरागढ़ को विभागीय वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

निबन्धन उप जिला धारचूला तहसील बंगापानी (ग्रामीण क्षेत्र)(200 मीटर से अधिक)

क्र0 सं0	श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्र	कृषि भूमि की दर (रू0 प्रति लाख है0)	अकृषि भूमि की दर (रू0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0)	वाणिज्यिक भवन(सुपर एरिया प्रति वर्गमी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्गमी0)	
				200 मीटर अधिक	200 मीटर अधिक		दुकान/रैस्टोरैन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)
				वर्तमान	वर्तमान	वर्तमान	वर्तमान	वर्तमान	वर्तमान	वर्तमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	B	1–तोली, 2–मेतली, 3–लुमती, 4–सिरतोला, 5–टांगा, 6–बाता, 7–निरतोली, 8–उमडाडा, 9–गैलातल्ला, 10–गैलामल्ला, 11–डोल्मा, 12–राप्ती, 13–वल्थी, 14–लटकोट, 15–सेरा, 16–खडतोली।	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम	31.3	264	10670	13800	12500	11000	4840
4	C	17–कनार, 18–जाराजिबली, 19–फर्वेकोट, 20–लोदी, 21–बिन्दी, 22–खाटा, 23–पत्थरकोट, 24–बिर्थितराली, 25–रोपाड़, 26–मवानीदवानी, 27–माणीधामी, 28–मदरमा, 29–धामीगांव, 30–दाखिम, 31–गर्जिया, 32–कौलीकन्याल, 33–गराली, 34–शिलिंग, 35–आलम,36–दारमा	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम	9.8	121	11640	13200	11900	11000	4840

ADM

जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

DETAILS OF MEASUREMENT

S/No	Item of Work	No			Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit
1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useing Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1								
	Bed of River upto 1.5m	1	1	1	160.00	15.00	1.50	3600.00	Cum
	Bed of River 1.5m to 3.0m	1	1	1	160.00	15.00	1.50	3600.00	Cum
	Bed of River 3.0m to 4.0m	1	1	1	160.00	10.00	1.00	1600.00	Cum
								8800.00	**Cum**
							Say	**8800.00**	**Cum**
2	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part there of.								
	Bed of River extra lift 1.5m to 3.0m	1	1	1	160.00	11.00	1.00	1760.00	Cum
	Bed of River extra lift 3.0m to 4.0m	1	1	1	160.00	10.00	1.00	1600.00	Cum
						Grand Total		**3360.00**	**Cum**
						Say		**3360.00**	**Cum**

Junior Engineer
IInd Sub Division

Assistant Engineer- II
Sub Division
Munssiyari

IInd Sub- Division, Munsiyari, Irrigation Division, Dharchula

जनपद पिथौरागढ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–बल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

BILL OF QUANTITY

Block : Munsiyari

District : Pithoragarh

S.No.	Reference to SOR	Item of Work	Quantity	Unit	Rate in Rs	Amount in Rs
	PROTECTION WORK					
1	MISCELLANEOUS 1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useing Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	8800.00	Cum	83.80	737440.00
2	MISCELLANEOUS 1-J-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof.	3360.00	Cum	32.70	109872.00
					Total	**847312.00**
					Add 18% G.S.T.	**152516.16**
					Grand Total	**999828.16**
					Say	**10.00 Lacs**

Checked

Junior Engineer
IInd Sub Division
Munssiyari

Assistant Engineer-II
Sub Division-II
Munssiyari

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या 1220/न्यूनीकरण निधि/आ०प्रा०/2024-25 दिनांक 17.08.2024 के सन्दर्भ में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि म के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी धारचूला के अन्तर्गत तहसी बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम वल्थी के तोक देवीबगड़ में आवासीय भवनों की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य के प्राविधिक आगणन कुल लागत रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख मा की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृ योजना के क्रियान्वयन के समय उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए प्राविधानित राशि से किसी भी दशा में व्ययाधिक्य न किया जाये।

उक्त प्राविधिक स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक रजिस्टर में क्र०सं० 05/66/2024-25 दिनांक 03.09.2024 में अंकित है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचूला

IInd Sub- Division, Munsiyari, Irrigation Division, Dharchula

जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

ABSTRACT OF COST

S.No.	Description of Work	Amount in Rs	
1	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।	10.00	
	Say	**10.00**	**Lacs**

J.E
Sub Div-II Munssiyari

A.E.-II
Sub Div-II Munssiyari

E. E.
Irrigation Division Dharchula

कार्य का नाम–जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

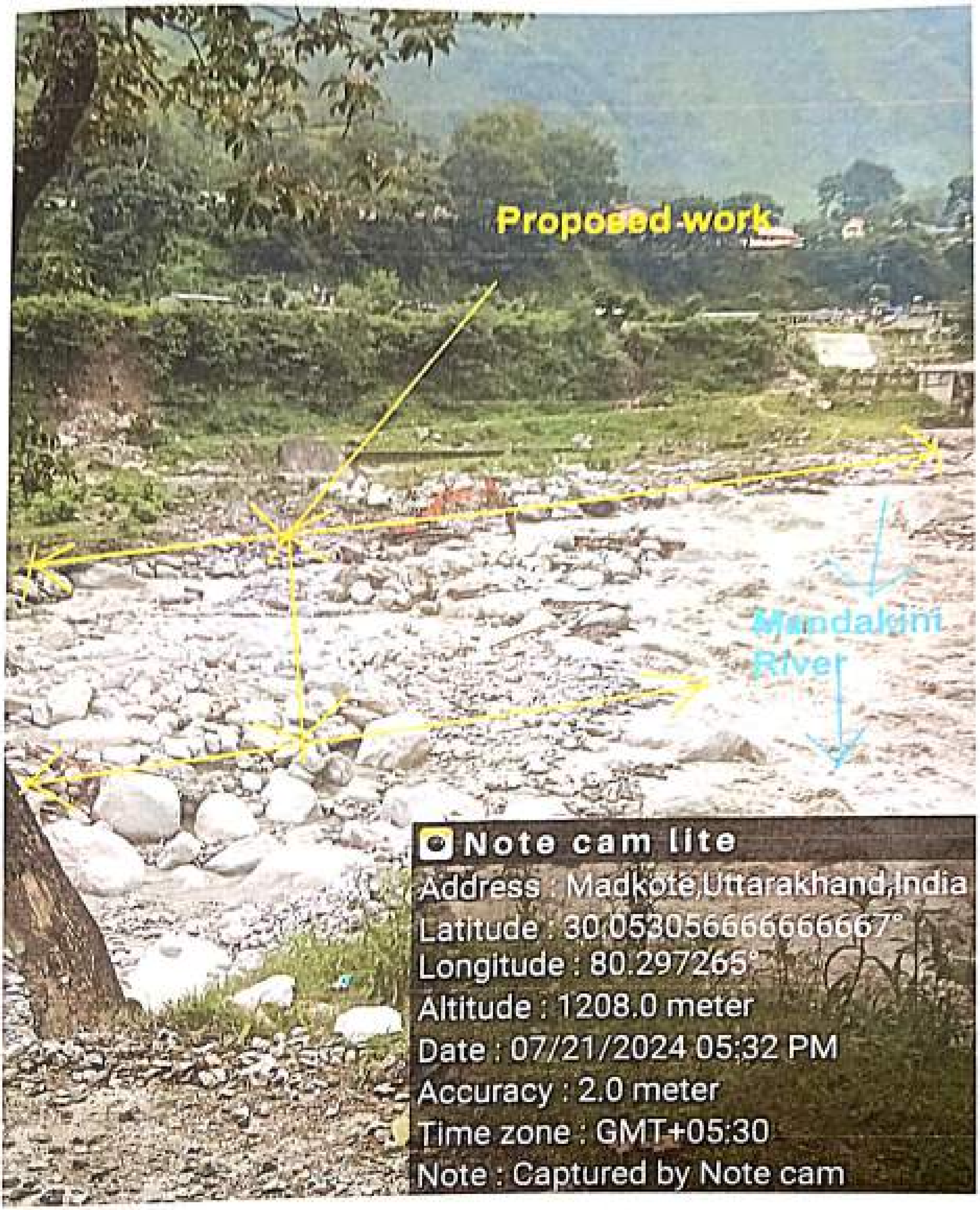

प्रस्तावित कार्य स्थल ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड

J.E.
ID Sub Div-2nd Munssiyari

A.E.-II
ID Sub Div-2nd Munssiyari

E.E.
I.D. Dharchula

राजस्व उप निरिक्षक

कार्य का नाम—जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम—वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

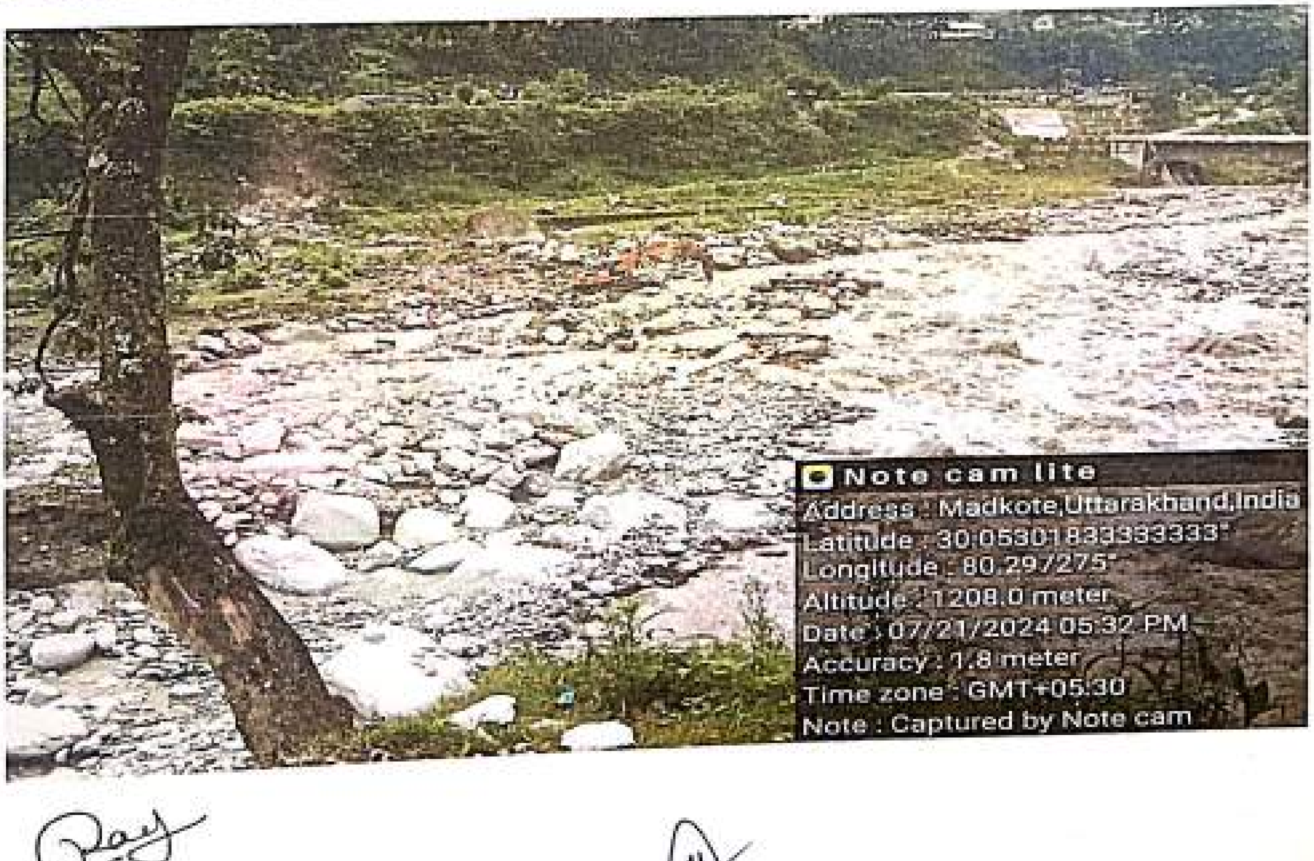

J.E.
ID Sub Div-2nd Munssiyari

A.E.-II
ID Sub Div-2nd Munssiyari

E.E.
I.D. Dharchula

राजस्व उप निरिक्षक

कार्य का नाम–जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

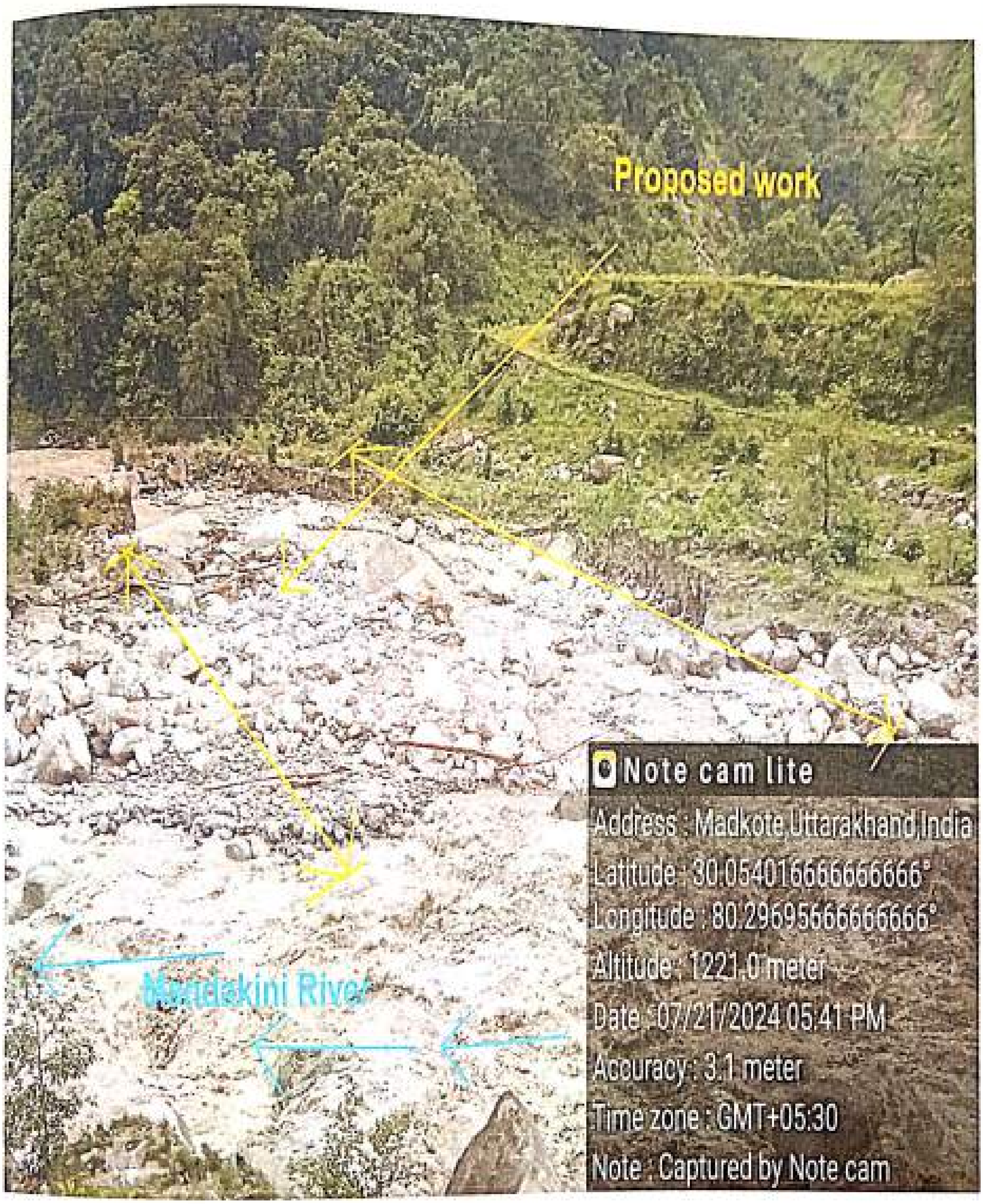

प्रस्तावित कार्य स्थल ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड

J.E.
ID Sub Div-2nd Munssiyari

A.E.-II
ID Sub Div-2nd Munssiyari

E.E.
I.D. Dharchula

राजस्व उप निरिक्षक

कार्य का नाम–जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड में आवासीय भवनो की मंदाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु मंदाकिनी नदी का चैनलाईजेशन का कार्य ।

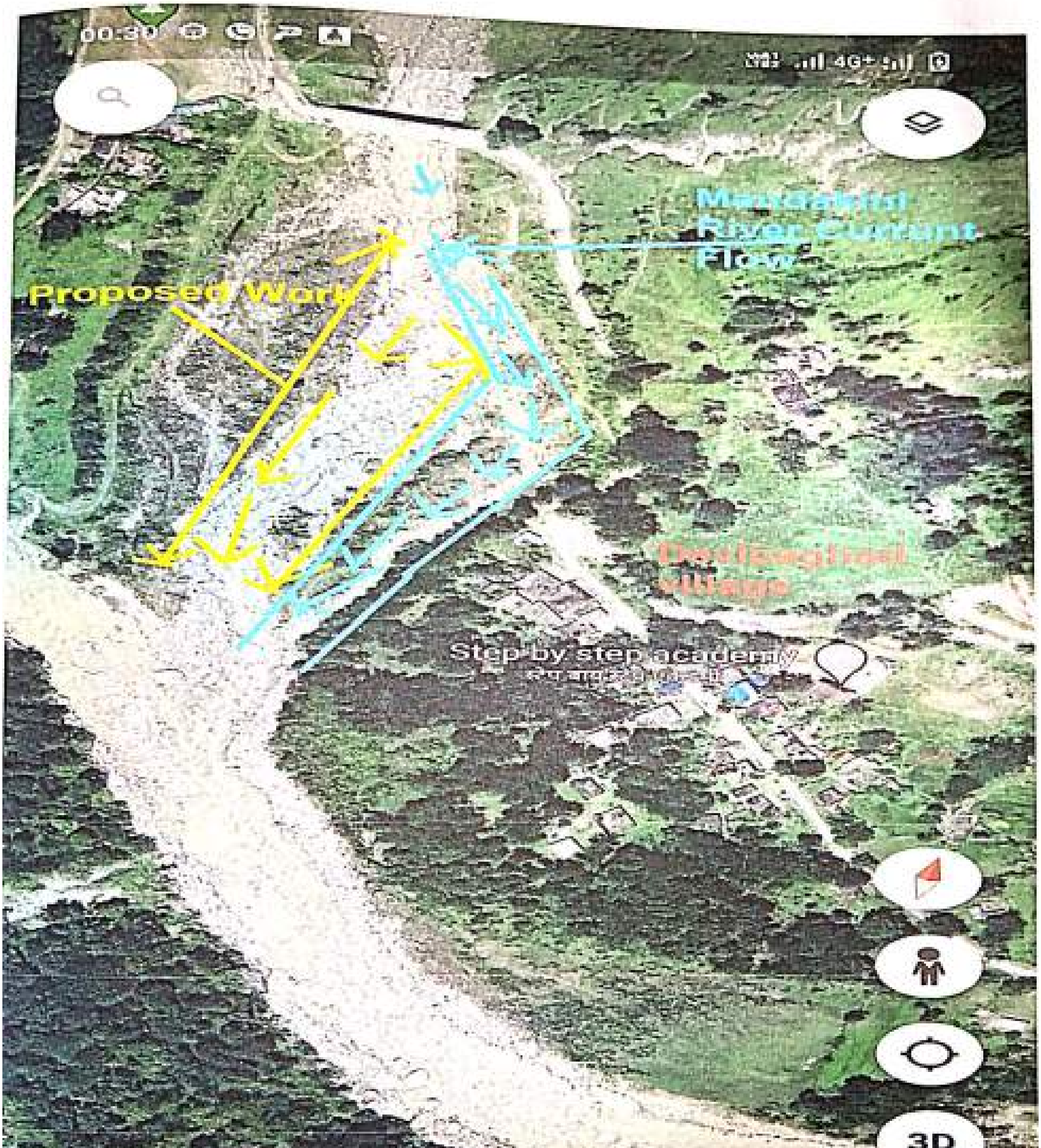

प्रस्तावित कार्य स्थल गुगल मैप ग्राम–वल्थी के तोक देवीबगड

.E.
D Sub Div-2nd Munssiyari

A.E.-II
ID Sub Div-2nd Munssiyari

राजस्व उप निरिक्षक

E.E.
I.D. Dharchula

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA (PITHORAGARH)
INDEX MAP
Scale 1:2,00,000 (1Cms= 2Km.)